

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 22/10/2024
संख्या-14/प्रो-806/2024- 17084 /सां०प्र०- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,
पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्या-636,
दिनांक-10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार
प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर में, उसके
विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13 ए) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता
है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, गृह जिला,	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2023 के अनुसार)	वर्तमान कोटि
1	2	3	4
1.	श्री अभय कुमार सिंह, भोजपुर	182	संयुक्त सचिव
2.	श्री राजीव कुमार सिंह, शिवहर	185	संयुक्त सचिव
3.	डॉ संजय कुमार, मुंगेर	188	संयुक्त सचिव
4.	श्रीमती मीना कुमारी, सारण	191	संयुक्त सचिव
5.	श्रीमती कुमारी सीमा, पूर्णियाँ	192	संयुक्त सचिव
6.	डॉ महेन्द्र पाल, भोजपुर	193	संयुक्त सचिव
7.	श्री राशिद कलीम अंसारी, पटना	194	संयुक्त सचिव
8.	मो० मुमताज आलम, गया	196	संयुक्त सचिव
9.	श्री विजय कुमार, शेखपुरा	197	संयुक्त सचिव
10.	श्रीमती प्रतिभा कुमारी, भागलपुर	201	संयुक्त सचिव
11.	श्री सुशांत कुमार, गया	204	संयुक्त सचिव
12.	श्री मनन राम, सिवान	205	संयुक्त सचिव
13.	श्री मनोज कुमार रजक, सिवान	206	संयुक्त सचिव
14.	श्री राम कुमार पोद्दार, पूर्णियाँ	210	संयुक्त सचिव

८

15.	श्री सुनील कुमार पाण्डेय, सिवान	211	संयुक्त सचिव
16.	श्री राजेश परिमल, समस्तीपुर	212	संयुक्त सचिव
17.	श्री राज मोहन झा, मुंगेर	213	संयुक्त सचिव
18.	श्री राजीव रंजन प्रभाकर, सहरसा	215	संयुक्त सचिव
19.	श्री धनंजय कुमार, सारण	216	संयुक्त सचिव
20.	श्री राकेश कुमार, सारण	217	संयुक्त सचिव
21.	श्री संजय कृष्ण, पटना	218	संयुक्त सचिव
22.	श्री गुफरान अहमद, औरंगाबाद	219	संयुक्त सचिव
23.	श्री मनोज कुमार, लखीसराय	220	संयुक्त सचिव

- यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्याधीन है।
- उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-13 ए) में उत्क्रमित किया जाता है।
- उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-14/प्रो-806/2024-17084/सा0प्र0 पटना-15, दिनांक- 22/10/2024
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक,

आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12, 27 एवं 29 (बि0प्र0से0 चारित्री कोषांग), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22/12/24
सरकार के अपर सचिव।